

सेवा में,

प्राचार्य/निदेशक,

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान

हे0न0ब0 गढवाल विश्वविद्यालय

श्रीनगर, गढवाल

महोदय,

विश्वविद्यालय की वर्ष 2023-2024 मुख्य/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग (U.F.M) में पकड़े गये परीक्षार्थियों के प्रकरणों का विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा निस्तारण कर दिया गया है। प्रकरणों का निस्तारण होने के पश्चात् जो परीक्षार्थी अनुचित साधन (U.F.M) में दोषमुक्त हुए हैं, उनके अंक नेट पर अपडेट कर दिये गये हैं। उक्त सत्र की परीक्षा में छूटे हुए शेष छात्रों हेतु अनुचित साधन समिति के निर्णय की प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट hnbgu.ac.in पर उपलब्ध है। कृपया अपने महाविद्यालय/संस्थान के छात्र/संस्थान के छात्र/छात्राओं को अपने स्तर से सूचित/अवगत कराने का कष्ट करें।


परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक सं० COE/58

दिनांक:-18/02/2025

- प्रतिलिपि:-
1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय जी के सादर सूचनार्थ।
 2. निजी सचिव कुलसचिव, कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ।
 3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा/परीक्षा नियंत्रक) /प्रभारी डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर।
 4. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


परीक्षा नियंत्रक

शिक्षा सत्र 2023-24 मुख्य/व्यावसायिक परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े गये परीक्षार्थियों के निर्णय:

No.	Class	Roll No.	Enrolment	Subject /Paper	Decision
1	B.Sc VI	21208140021	G212080244	Chemistry	UR-02
2		19208140020	G192080145		UR-02
3		19208140096	G192080221		UR-02
4		22134140132	G221341136		UR-03
5	B.Sc II	23208140238	G232080349	Chemistry	UR-02
6	B.A II	23234120210	G232340210	Sociology (Indian Sociology)	UR-01
7		23207120398	G232070400	Psychology (Application of Social Psychology)	UR-01
8	M.Sc IV	22134330022	G221341832	Chemistry	UR-02
9	M.A II	23134314005	G231342083	Music (Vocal)	UR-01

निर्णय:-

- यू0आर0-01 के अन्तर्गत कड़ी चेतावनी के साथ सम्बन्धित परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया जाता है।
- यू0आर0-02 के अन्तर्गत यू0एफ0एम0 की प्रथम उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन निरस्त कर द्वितीय उत्तरपुस्तिका के अंक देकर कड़ी चेतावनी के साथ परीक्षाफल घोषित किया जाता है।
- यू0आर0-03 के अन्तर्गत सम्बन्धित वर्ष/सेमेस्टर का पूरा परीक्षाफल निरस्त किया जाता है।
- यू0आर0-04 के अन्तर्गत सम्बन्धित वर्ष/सेमेस्टर का पूरा परीक्षाफल निरस्त के साथ-साथ अगले एक वर्ष तक विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाता है।